

FORM No. III

50

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद, जिला कोटा

चतुर्भुज बनाम वकील शर्मा

किस्म मुकदमा - इजराय नं० 78 सन् 2018

Handwritten signature and date: 2018/06/29

तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए

प्रार्थी की ओर से यह इजराय श्री दीक्षवाल जैयन्त

... एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया दर्ज रजिस्टर हो । तहसीलदार

दीगोद को पत्र लिखा जावे कि मि० न. 54/2016 उनवान चतुर्भुज बनाम

वकील शर्मा में निर्णय दिनांक 11.06.2018 को हो चुका है

उक्त उनवान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इजराय की

पालना की जावे । पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 4.1.2019 को

पेश हो।

Handwritten signature

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित । कोटा के अधिकारी के सजकार्य

में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक

4.1.19 को

पेश हो हु

19/11/2018

4.1.19

18-1-19

पत्रावली पेश हुई, वकील दावी/प्रतिवादी
उत्तरीय। पत्रावली अधिक होने से
प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी।
पत्रावली पूर्ववत दिनांक 8-2-19
को पेश हो।

82.19

पत्रावली पेश हुई प्रकरण में नाजा.सं. 588
दि:- 24.1.19 से पालता हो चुकी है जिसकी
पालता रिपोर्ट तहसीलदार दौगोंद से दि:- 30.1.19
को प्राप्त हो चुकी है। चूंकि पत्रावली में सब कोर्ट
अपेक्षित नहीं है परिणामतः पत्रावली
पत्रावली अन्तर्गत दायित्व पत्र हो।